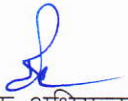


Additional Attachment -2.2

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी० 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

प्रस्तावित परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है ।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल ।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल ।

26.06

प्रपक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 28 जून, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी० 6.00 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सेम मन्दिर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र 0 का 0, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई 5.0 किमी० एवं लागत ₹ 32.00 लाख है, पर विभागीय टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 32.00 लाख (रु० बत्तीस लाख मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (रु० दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1764 / III(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूलस-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि

photo copy attached

NE 21

प्रमुख अभियन्ता

ज-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी जा से किया जायेगा।

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी का होगा।

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति ज़रूरत समझी जायेगी।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-भाग-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 229(A)/XXVII/(2)/2016 दिनांक 27/16 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
प्रभारी सचिव

/ 111(2)/16-59(एम0एल0ए0)/2016 तददिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

लेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

अधिकारी, नैनीताल।

अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।

निधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

शक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।

अप अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

Photo copy attached

AE

नगरपालिका कार्यालय
अध्यापक, लो. नि. वि.
नैनीताल